कार्यालय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, आत्मा, समस्तीपुर ।

आदेश

बिहार सरकार कृषि विभाग, पटना का पत्रांक 617, दिनांक 30.09.2014, पत्रांक 807, दिनांक 30.09.2014 एवं पत्रांक 918, दिनांक 10.11.2014 के आलोक में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर नियोजन हेतु Draft Merit List of Shortlisted candidates के आयोजित काउंसेलिंग एवं प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के फलस्वरूप प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर Final Wait List से श्री .....पिता.....
.....पता.....
.....

को नियत मानदेय 25000.0 (पचीस हजार) रू0 प्रतिमाह में निम्न शर्तो के अनुसार नियोजित किया जाता है–

1. संविदा का आधार पर नियोजन 31.03.2016 तक के लिए होगा । कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए शर्तो के अधीन नवीनीकृत किया जा सकेगा । कार्य संतोषजनक नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।
2. अनुबंध अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी परिस्थति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
3. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा, समस्तीपुर को होगा । इस संबंध में किसी प्रकार का अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मशासी परिषद, समस्तीपुर के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
4. संविदा के आधर पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थति में मान्य नही होगा ।
5. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद, समस्तीपुर का होगा ।
6. संविदा कर्मियों का दायित्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतविर्भागीय कार्य समूह (IDWG) द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा । नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व आत्मा योजना के सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।
7. चुँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है अतएव नियोजन तभी तक मान्य होगा जबतक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी ।
8. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद पर नियोजित व्यक्तियों को उनके डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जांच अवधि 60 (साठ) दिनों के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं किया जोयगा ।
9. 60 दिन के अंदर संबंधित संस्थान/प्राधिकार से संबंधित व्यक्ति को डिग्री प्रमाण–पत्र के वैधता की रिर्पोट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समुचित अवसर देकर उस व्यक्ति का नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।
10. योगदान के साथ अपनी योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की स्वच्छ छाया प्रति (दो सेट) में समर्पित करना होगा ।

11.. असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य संबंधी मूल प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा ।

12. चयनित व्यक्ति अपने प्रमाण–पत्रों की वैधता संबंधी शपथ–पत्र के साथ योगदान करेंगे ।

13. चयनित व्यक्ति प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर आत्मा कार्यालय, बाजार समिति प्रांगण, समस्तीपुर में कार्यालय अवधि में दिनांक 10.01.2016 तक योगदान सुनिश्चित करेंगे ।

11. दिनांक 13.01.2016तक क्र.सं. 01 से 10 तक उल्लेखित शर्तो का एक एकरारनामा 100 रू0 के नन–जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, समस्तीपुर ।

ज्ञापांक...../आत्मा, समस्तीपुर, दिनांक.....

प्रतिलिपि– .....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, समस्तीपुर ।

एकरारनामा का प्रारूप

1. संविदा का आधार पर नियोजन 31.03.2016 तक के लिए होगा । कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए शर्तो के अधीन नवीनीकृत किया जा सकेगा । कार्य संतोषजनक नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।
2. अनुबंध अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी परिस्थति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
3. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा, समस्तीपुर को होगा । इस संबंध में किसी प्रकार का अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मशासी परिषद, समस्तीपुर के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
4. संविदा के आधर पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थति में मान्य नही होगा ।
5. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद, समस्तीपुर का होगा ।
6. संविदा कर्मियों का दायित्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतविर्भागीय कार्य समूह (IDWG) द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा । नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व आत्मा योजना के सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।
7. चुँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है अतएव नियोजन तभी तक मान्य होगा जबतक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी ।
8. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद पर नियोजित व्यक्तियों को उनके डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जांच अवधि 60 (साठ) दिनों के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं किया जोयगा ।
9. 60 दिन के अंदर संबंधित संस्थान/प्राधिकार से संबंधित व्यक्ति को डिग्री प्रमाण–पत्र के वैधता की रिर्पोट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समुचित अवसर देकर उस व्यक्ति का नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी

चयनित अभ्यर्थी का नाम–

पदनाम–

हस्ताक्षर–

प्रखंड.....

दिनांक.....

स्थान.....दिनांक.....